mail

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र / बी–6 / नियमन / परिपत्र / 384 भोपाल, दिनांक 24 / 12 / 2021

प्रति,

1 संयुक्त / उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय.................................(समस्त)

2 भारसाधक / सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति................(समस्त)
जिला..........................

विषयः–ई–अनुज्ञा पोर्टल पर कृषि उपजो की जैविक (आर्गेनिक) होने / नही होने की प्रविष्टि करने बावत।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / बी–6 / नियमन / 1352 दिनांक 21.06.2021 एवं पत्र क्रमांक / बी–6 / नियमन / परिपत्र / 152 दिनांक 02.11.2021

सन्दर्भित पत्रो के द्वारा प्रदेश मे उत्पादित कृषि उपज का मण्डी प्रांगण मे विक्रय के समय प्रवेश पर्ची, अनुबंध पर्ची तथा भुगतान पत्रक पर वैरायटी दर्ज किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये है।

उक्त क्रम मे प्रदेश मे प्राकृतिक रूप से उत्पादित जैविक कृषि उपज की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ताकि ऐसे जैविक कृषि उपज उत्पादको को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त हो सके। इसके लिए ऐसी जैविक कृषि उपज की, मण्डियो मे आवक एवं विक्रय होने पर, ई–अनुज्ञा पोर्टल पर जैविक होने की अनिवार्य प्रविष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मण्डी सचिवो के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियो को जैविक कृषि उपज की मैपिंग के महत्व को समझाते हुए उन्हे ई–अनुज्ञा पोर्टल पर भुगतान पत्रक मे कृषि उपज के जैविक होने / नही होने की प्रविष्टि हेतु सहमति बनायी जाये। जब तक व्यापारियो के द्वारा ई–अनुज्ञा पोर्टल पर उक्त प्रविष्टि करने की व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावशील नही हो जाती है तब तक मण्डी सचिव द्वारा ई–अनुज्ञा पोर्टल पर व्यापारी / मण्डी द्वारा दर्ज भुगतान पत्रक के सत्यापन के समय समस्त विक्रय संव्यवहारो मे कृषि उपज की जैविक होने / नही होने की प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा।

अतः समस्त मण्डी सचिवो को निर्देशित किया जाता है कि ई–अनुज्ञा पोर्टल पर कृषि उपज की जैविक होने / नही होने की अनिवार्य रूप से प्रविष्टि कराना सुनिश्चित किया जाये। इसका तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन करने सतत मॉनिटरिंग आंचलिक संयुक्त / उपसंचालको के द्वारा नियमित रूप से की जायेगी।

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/बी–6/नियमन/परिपत्र/ 385

भोपाल, दिनांक 24/12/2021

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. अपर संचालक (आई.टी. सेल) म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय।
4. चीफ प्रोग्रामर म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय। वेबसाईट पर अपलोड करायें।
5. श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र भोपाल। व्यापारी/मण्डी द्वारा भुगतान पत्रक दर्ज करते समय, कृषि उपज के जैविक होने/नही होने की प्रविष्टि तथा मण्डी सचिव लॉगिन पर भुगतान पत्रक सत्यापन के पूर्व मे उक्त प्रविष्टि को अनिवार्य (मेनडेटरी) करने हेतु ई–अनुज्ञा पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करने का कष्ट करे।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल